कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

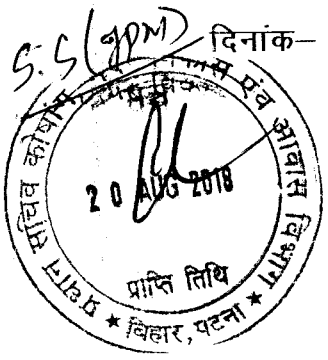

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, मनेर
जिला– पटना

महाशय,

नगर पंचायत, मनेर के वर्ष 2014–15 से 2016–17 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 880 / 17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

–ह0–

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14745/85 दिनांक– 28.06.2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, पटना

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

9144

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–880/17–18

भाग– I
प्रस्तावना

1.	निरीक्षित कार्यालय का नाम	नगर पंचायत मनेर		
2.	लेखा की अवधि	2014–2015 से 2016–17		
3.	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	रोकडवही, योजनाभिलेख, बंदोबस्ती संचिका रसीद वही आदि की जाँच की गयी। अंकेक्षण में प्रस्तुत व जांच किए गए पंजी व अभिलेख की सूची परिशिष्ट–I पर दी गयी है।		
4.	लेखापरीक्षा की अवधि	01.08.17 से 07.08.17		
5.	प्रशासन	1)	**मुख्य पार्षद**	**अवधि**
		क)	श्रीमती अंजू देवी	01.04.2014 से 10.6.14
		ख)	सुशीला देवी	11.06.2014 से 31.03.17
		2)	**उप मुख्य पार्षद**	**अवधि**
		क)	श्री संजय भाई	01.04.2014 से 31.03.17
		3)	**नगर कार्यपालक पदाधिकारी**	**अवधि**
		क)	श्रीमती अलका सिन्हा	01.04.2014 से 12.05.15
		ख)	अंजू कुमारी	13.05.15 से 02.09.15
		ग)	श्री अशोक कुमार सिंह	03.09.15 से 31.03.17
6.	**लेखापरीक्षा दल के सदस्य**(श्री)	1.	रंजन कुमार	(व0ले0प0)
		2.	**गौरव प्रकाश**	(स0ले0प0अ0)
		3.	रौशन कुमार	(स0ले0प0अ0)
7.	**पर्यवेक्षक अधिकारी का नाम**(श्री)	1.	**विशवम्भर कुमार**	(व0ले0प0अ0)
8.	**अंकेक्षण टिप्पणी**	नगर पंचायत मनेर की लेखा का संधारण संतोषप्रद नहीं था। इसमें सुधार की आवश्यकता है। अनुदान विनियोग पंजी, आंग्रेम पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया गया था। मांग एवं बकाया पंजी इत्यादि का भी संधारण नहीं किया गया था। दैनिक वसूली पंजी का संधारण भी नहीं किया जा रहा था। वसूली गई राशि को नगर पंचायत कोष में जमा नहीं करने के कई मामले दृष्टिगोचार हुए। दुकान		

		किराया, गृह तथा घृति कर की वसूली हेतु अपेक्षित प्रयास किए जाऐं। नगर पंचायत मनेर प्रशासन से आग्रह है कि असंधारित पंजियों के संधारण के प्रयास किए जाए।
9.	कार्यपालक पदाधिकारी से आपतियों पर वार्तालाप	हाँ, दिनांक 07.08.2017 को कार्यपालक पदाधिकारी से वार्तालाप किया गया।
10.	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन का अनुपालन	अप्रस्तुत

दावा अस्वीकार प्रमाण–पत्र
DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु कतई उत्तरादायी नहीं होगा।

कंडिका–11 बजट

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धारा 82 के प्रावधानानुसार:–

1. नगरपालिका पदाधिकारी आगामी वर्ष के लिए नगरपालिका अनुसूची सहित प्रत्येक वर्ष बजट का प्राक्कलन तैयार करेगा। मुख्य पार्षद प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अथवा तत्पश्चात् यथासम्भव शीघ्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका के समक्ष पेश करेगा। पुनः उक्त अधिनियम के धारा 84 के अनुसार, नगर निकाय, बजट प्राक्कलन और इस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा, यदि कोई हो पर विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक आगामी बजट प्राक्कलन स्थानीय निकायों के क्षेत्रीय उपनिदेशक को प्रस्तुत करेगी।
2. बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम 139 के अनुसार नगरपालिका लेखा समिति बजट का अर्द्धवार्षिक समीक्षा कर यह जॉच करेगी कि बजट निर्देशित मॉग पर ही हो रहा है, बजट वास्तविक तथा प्राप्त करने लायक है एवं विश्लेषण कि वास्तविकी में पॉच प्रतिशत से अधिक विचलन नहीं है।

लेखा परीक्षा वर्ष से संबंधित समर्पित बजट प्राक्कलन की जॉच से ज्ञात हुआ कि:–

1. वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की अवधि का बजट प्राक्कलन विहित प्रपत्र में तैयार नहीं किया गया था। वर्ष 2014–15 के बजट प्राक्कलन के अनुसार आय–व्यय एवं वास्तविक आय–व्यय की स्थिति इस प्रकार थी:–

क0सं0	शीर्ष	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	विचलन
1	आय	3,22,97,518	7,55,32,983	134%
2	व्यय	3,22,58,768	2,90,77,917	10%

(बजट 2016–17 में दर्ज राशि के आधार पर)

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि विचलन मान्य प्रतिशत से अधिक था एवं बजट–प्राक्कलन वास्तविकता से परे था।

1. वित्तीय वर्ष 2016–17 की अवधि का वार्षिक लेखा/वार्षिक वित्तीयविवरण तैयार नहीं किया गया था फलस्वरूप शीर्ष वार एवं कुल आय–व्यय की तुलना नहीं की जा सकी। बजट प्राक्कलन विभाग को प्रस्तुत किये जाने संबंधी संचिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आपत्ति के जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि लेखा परीक्षा के निर्देशानुसार बजट प्राक्कलन का संधारण किया जायेगा। कार्रवाई के परिणाम से अवगत कराया जाय।

कंडिका–12 सरकारी अनुदान

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 69 के अनुसार सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदानों की प्राप्ति एवं उपयोग विवरण हेतु नगरपालिका में अनुदान बही बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र सं0 28 में रखी जायेगी। पुनः कार्यपालक पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र सं0 29 के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार किया जाए जिसमें योजना के सारे वित्तीय व्यय के साथ वास्तविक कार्य प्रगति इत्यादि जिसके लिये अनुदान दिये गये हो, योजना पूर्ण होने या माँगे जाने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजेंगे जो प्रत्येक अवस्था में वित्तीय वर्ष समाप्ति के दो महीनों के अन्दर तैयार किये जायेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी उक्त नियम 69 के अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु उत्तरदायी होंगे। नियम के पालन नहीं होने की स्थिति में रू0 5000 प्रति उल्लंघन की दर से दंड लगाया जायेगा।

लेखा परीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि नगर परिषद द्वारा प्रपत्र सं0 28 एवं 29 का संधारण नही किया गया था। फलस्वरूप वर्षवार प्राप्त अनुदान उपयोगिता एवं अवशेष की स्थिति ज्ञात नही की जा सकी।

आपत्ति के जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि विहित प्रपत्र में (बीएमआर फार्म 28) प्राप्त अनुदान का संधारण की जायेगी। कार्रवाई के परिणाम से अवगत कराया जाय।

कंडिका–13. वार्षिक विवरण का संधारण नहीं

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के अध्याय 21 के नियम 122 के अनुसार

1. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह की अवधि में नगरपालिका के लेखाओं का वार्षिक विवरण मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी तैयार करेगे।
2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी वार्षिक वितीय विवरण तैयार कर वितीय विवरण को सशक्त स्थायी समिति को वितीय वर्ष समाप्त होने के चार महीनों के अर्न्तगत समर्पित करेंगे।
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी उपर वर्णित नियमों के पूर्ण अनुपालन के किये व्यक्तिगत रूप से उतरदायी होंगे। अगर वे सशक्त स्थायी समिति के प्रत्येक वितीय वर्ष के जुलाई माह के अंत तक पिछले वर्ष का वितीय विवरण प्रस्तुति करने में असफल रहते है, तो रू. 5000/– जुर्माना के लिए उतरदायी होगे।

नगर पंचायत मनेर कार्यालय द्वारा उपरोक्त नियम का पालन नहीं किया गया। इस कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 तथा 2016–17 के वार्षिक विवरण का तैयार नहीं किया गया था।

आपत्ति के जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि लेखा परीक्षा के निर्देशानुसार वार्षिक विवरण का संधारण किया जायेगा। कार्यवाही के परिणाम से अवगत कराया जाय।

कंडिका–14. वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र नहीं बनाया जाना

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 88 तथा 89 में क्रमशः वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र तैयार करने का प्रावधान किया गया है। धारा 88 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर एक वित्तीय विवरण तैयार करना है जिसमें नगरपालिका लेखा के मद्दे पूर्ववर्ती वर्ष का आय–व्यय लेखा तथा प्राप्तियॉ एवं अदायगी को अंतर्विष्ट करना है। इसके अतिरिक्त धारा 89 में प्रावधान किया गया है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर पूर्ववर्ती वर्ष के लिए नगरपालिका की आस्तियों एवं दायित्वों से संबद्ध तुलन पत्र तैयार करना है।

नगर पंचायत मनेर कार्यालय द्वारा उपरोक्त नियम का पालन नही किया गया। इस कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 तथा 2016–17 के वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र नहीं बनाया गया था।

आपत्ति के जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि वित्तीय विवरण एवं तुलन पत्र तैयार कर लिया जायेगा। कार्रवाई के परिणाम से अवगत कराया जाय।

लेखापाल रोकडबही प्रस्तुत किया गया था जिसके अनुसार आय-- व्यय तैयार किया गया था। जिसका विवरण निम्न है:–

	2014-15	2015-16	2016-17
प्रारंभिक शेष	23988445	27792579	49009455
वर्ष की प्राप्ति	18810206	43436629	77988371
कुल प्राप्ति	42798651	71229208	126997826
वर्ष में किया गया व्यय	15006072	22219753	60737443
अन्तशेष	27792579	49009455	66260383

भाग–II (क)– शून्य

भाग–II (ख)

कंडिका–1 डस्टबिन क्रय में अधिक भुगतान –रू0 24.8 लाख

बिहार सरकार के संकल्प, नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक 2ब0/विविध 2132/2013–2372 दिनांक 08.08.2014 द्वारा यह वर्णित था कि "''राज्य सरकार द्वारा सफाई की व्यवस्था हेतु आवश्यक संयंत्रो/वाहनो के क्रय में गुणवता व मानको में नगर निकायो में एकरूपता लाये जाने के उदेश्य से बुडको को राज्य के नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपयोग में आनेवाली सामग्रियो एवं सेवाओं के दर निर्धारण एवं अधिप्राप्ति हेतु राज्य क्रय संगठन नामित किया गया है। इस सेवा के लिए बुडको को 2 प्रतिशत की दर से Centage देय होगा।

नगर पंचायत मनेर द्वारा डस्टविनों का क्रय बुडको के माध्यम से न कर, स्वंय किया गया था। कुल 80 (30+20+30) डस्टविनों का क्रय तिरूपति सेल्स, मीठापुर; पटना से किया गया था। इस कार्य में इस कार्यालय द्वारा कुल रू. 2480000 की राशि का परिहार्य भुगतान किया गया था।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– II में संलग्न)

1. अतः विभागीय आदेश के विपरीत परिहार्य भुगतान कर डस्टविनों के क्रय किये जाने के कारण स्पष्ट करें।
2. इस कार्यालय के विभिन्न पत्रांकों के द्वारा रू. 53,000 प्रति डस्टविन की दर से कुल 80 (30+20+30) डस्टविनों का क्रय का आदेश तीन बार में दिया गया था। स्पष्टतः राशि की उपलब्धता होने के बावजूद वास्तविक मॉग का निर्धारण नगर परिषद् कार्यालय द्वारा नहीं किया गया। इस कारणवश बार– बार क्रय किया गया।
3. नगर कार्यपालक पदाधिकारी, मनेर के कोटेशन आमंत्रण सूचना 02/2015–16 के अनुसार 630 लीटर रोटोमोल्ड डस्टबीन (4 मुवेबल टाईप रगर व्हील) का कोटेशन आमंत्रित किया गया था। परन्तु तिरूपति सेल्स, पटना द्वारा 'गल्वनाइजड डस्टबीन' का कोटेशन दिया गया था। अतः क्रय सशक्त स्थायी के प्रस्ताव पर इसी आपूर्तिकर्ता से 'गल्वनाइजड डस्टबीन' क्रय किया गया। कोटेशन के विपरीत 630 लीटर डस्टबीनों के स्थान पर 1.1 मी0^3 डस्टबीनों का क्रय किया गया था। स्पष्टतः सामग्री की विशिष्टता बदले जाने के कारण निविदादाताओं में साफ–सुथरी प्रतियोगिता नहीं हुई थी।

आपत्ति के जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि बिहार सरकार के निर्देशानुसार वर्णित था कि नगर निकाय सशक्त स्थायी समिति से अनुमोदन प्राप्त कर बिहार वित्तीय नियमावली 2005 के माप दंडों के अनुसार स्वंय कर सकती है।

जवाब मान्य नहीं है नगर निकाय द्वारा डस्टविनों के क्रय बुडको के मान्य समतुल्य मूल्य पर ही किया जाना था। अतः इस कार्यालय द्वारा कुल 2480000 की राशि का परिहार्य भुगतान किया गया था।

कंडिका–2 ससमय भविष्य निधि की कटौती नहीं किये जाने से दायित्व का सृजन रू. 8.70 लाख

Ministry of Labour and Employment vide its notification no.S.O.30 of (E) dated 08 Jan 2011 notified that all employees of the Municipal Corporation shall be covered under section 2(f) of EPF & Mis. Provisions Act, 1952. It excludes the employees who are getting benefits of PF and Pension. Further, as per para (30) Payment of contributions Sub Para(3) of the Act,1952 it is ordered that it shall be duty of the principal employer to pay both the

contribution payable by himself in respect of the employees directly employed by him and also in respect of the employees employed by or through a contractor. Administrative charges are also to be paid by the Principal employer. As per provision of the Act, a deduction of 12% from employee and a contribution of 13.61% from Principal Employer on basic wages, dearness allowance and retaining allowance, if any was required to be deposited in the EPF account of the individual employee within 15 days of the closing of the respective month. Penalties under Para 32A of the EPF Scheme provides for claiming of damages for default in making payment of any contribution. The details are given below:

Sl. No	Period Of Default	Rate of Damages including 12% interest on arrears per annum
1	Less than 2 months	17
2	2 months & above but less than 4 months	22
3	4 months & above but less than 6 months	27
4	6 months & above	37

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 01/स्था0 (विविध)–13/2017/1435 पटना दिनांक 02.03.2017 द्वारा यह निर्देशित था की कार्यरत दैनिक वेतनभोगी/संविदा कर्मियो को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के तहत भविष्य निधि की कटौती की जानी है।

परन्तु नगर पंचायत मनेर कार्यालय द्वारा उपरोक्त अधिनियम का पालन नहीं किया गया। इस कार्यालय द्वारा अप्रैल 2014 से मार्च 2017 तक कुल रू. 7667794 की राशि का भुगतान दैनिक कर्मचारियों का किय गया था। इस अनुसार इस अवधि में 12 प्रतिशत की दर से कुल रू. 920135.28 कर्मचारी अंशदान एवं 13.61 प्रतिशत की दर से कुल 1043586.76 नियोक्ता अंशदान की कटौती कर भविष्य निधि कार्यालय को संप्रेषित की जानी थी।

उपरोक्त कार्यवाही नही किये जाने के कारण इस कार्यालय द्वारा दण्ड के रूप में दायित्व का सृजन किया गया था। वर्ष 2014–15 एवं 2016.–17 में दैनिक कर्मचारियों को दी गयी भत्ते के विरूद्ध कुल रू. 870650.76 राशि भावेष्य निधि कार्यालय को देय थी।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– III में संलग्न)

आपत्ति के जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि सफाई कर्मचारियों का भविष्य निधि काटा जाना इस कार्यालय में विचाराधीन है । आवश्यक कारवाई पूरी कर ली गई है। ई0पी0एफ0ओ0 कार्यालय से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर भविष्य निधि की कटौती सुनिश्चित की जायेगी।

कंडिका–3 विलम्ब अधिभार का परिहार्य भुगतान रू 0.03 लाख

In accordance with section 56 of the Electricity act. 2003 "if a consumer does not pay energy bills in full within 10 days grace period after due date specified in the bill, a delayed payment surcharge (DPS) of one and half (1.5) percent per month or part thereof on the outstanding principal amount of bill will be levied from the due date for payment, until the

payment is made in full without prejudice to right of the licensee to disconnect the supply".इस बकाया विलम्ब अधिभार को ससमय बिजली बिल का भुगतान कर टाला जा सकता है।

नगर पंचायत मनेर कार्यालय द्वारा उपरोक्त नियम का पालन नही किया गया। नगर पंचायत, मनेर के पास पर्याप्त राशि होने के बावजूद ससमय विधुत विपत्र का भुगतान नही किये जाने के कारण, कुल रू 3025 राशि परिहार्य रूप से भुगतान की गयीं।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– IV में संलग्न)

आपत्ति के जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि विद्युत विपत्रों का ससमय भुगतान किया जायेगा जिसे विलम्ब अधिभार की राशि के भुगतान से बचा जा सके। अतः इस कार्यालय द्वारा कुल रू 3025 राशि परिहार्य रूप से भुगतान की गयी।

कंडिका–4 नक्शा स्वीकृति में डेवलपमेंट परमिट फीस नहीं लेने के कारण रु 0.72 लाख की हानि

राज्य सरकार ने 08 दिसम्बर 2014 से बिहार बिल्डिंग बाई लॉ, 2014 लागू किया हैं. जिसके बाई लॉ संख्या 7(2) में यह प्रावधान किया गया है कि नगर पंचायत क्षेत्र में डेवलपमेंट परमिट फीस निम्न दर से लिया जायेगा.

क्षेत्रफल	**परमिट फीस**
एक हेक्टेयर तक	6000
एक हेक्टेयर एवं उससे उपर तथा 2.5 हेक्टेयर से कम	12000
2.5 हेक्टेयर से उपर	16000

नगर पंचायत मनेर द्वारा नक्शा पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था। अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए। संचिका एवं स्वीकृत किये गए नक्शों की जांच में पाया गया की किसी भी नक्शा की स्वीकृति के लिए बास्तुविद अथवा नगर पंचायत कार्यालय द्वारा डेवलपमेंट परमिट फीस आवदेनकर्ता से नहीं लिया गया। डेवलपमेंट परमिट फीस नहीं लिए जाने के कारण नगर पंचायत निधि को राशि रु 72000 की हानि हुई। विवरण इस प्रकार है–

क्रमांक	आवदेनकर्ता का नाम	प्लोट एरिया इन स्क्वायर मीटर	प्लोट एरिया इन हेक्टेयर	बिल्डिंग डेवलपमेंट फीस
1	सुभाष कुमार	63.44	0.006334	6000
2	शिव कुमारी	208.4670	0.0208467	6000
3	रत्नेश कुमार	316.26	0.031626	6000
4	दिनेश कुमार सिंह	145.46	0.014546	6000
5	सुनीता देवी	145.46	0.014546	6000
6	अजय कुमार गुप्ता	183.80	0.018380	6000
7	रानी राय	89.11	0.008911	6000
8	रेणु देवी	126.48	0.012648	6000
9	जानकी देवी	126.48	0.012648	6000
10	अजय कुमार गुप्ता	139.13	0.013913	6000
11	अम्बिका पंडित	250.92	0.025092	6000
12	शिव शंकर साव	121.42	0.012142	6000
			योग	**72000**

आपत्ति के जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि नक्शा पंजी का संधारण कर लिया जायेगा एवं आगे से आवेदनकर्ता डेवलपमेंट परमिट फीस भी ली जायेगी।

कंडिका–5 सैरातो की बंदोबस्ती में राजस्व की क्षति रु 8.44 लाख

1.सैरात बंदोबस्ती में स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाना रु 3.32 लाख

प्रधान सचिव, बिहार सरकार के पत्रांक 1920/आर0सी0/सी0एस0 दिनांक 14.08.02 तथा सचिव सह आई0जी0 पंजीकरण, बिहार के पत्रांक 549 दिनांक 15.03.05 के आलोक में सैरातो की बंदोबस्ती का एकरारनामा स्टाम्प पेपर पर करना है तथा बन्दोबस्तधारी से तीन प्रतिशत के बराबर स्टाम्प शुल्क लेना है। नगर पंचायत, मनेर द्वारा सैरात पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था बंदोबस्त किये गए सैरातो के संचिकाओं के जांच में पाया गया की वर्ष 2014-15 से 16-17 में नगर पंचायत कार्यालय द्वारा बंदोबस्त सैरातो का न तो एकरारनामा किया गया था न ही स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर सम्बंधित शीर्ष में जमा किया गया था. इस प्रकार स्टाम्प शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली राशी रु 332138/- की हानि राज्य सरकार को हुई, जिसका विवरण नीचे दिया गया हैं –

सैरात का नाम	बंदोबस्ती की अवधी	बंदोबस्ती की राशी रु में	स्टाम्प शुल्क की राशी जो नहीं ली गयी	बंदोबस्त धारक का नाम
सुलभ शोचालय	14-15	7000 (01.04.14 से 31.05.14) 35250 (शेष दस माह)	210 1058	मन्नू कुमार
सड़क किनारे खुदरा विक्रेता बंदोबस्ती	14-15	80000 (01.04.14 से 31.05.14) 586000 (शेष दस माह	2400 17580	अजय कुमार विजय कुमार महतो
	15-16	174999 (01.04.15 से 30.06.15) 523000 (शेष 9 माह	5250 15690	संतोष कुमार सोनू कुमार
	16-17	905000	27150	देव कुमार राय
बस एवं जीप पड़ाव बंदोबस्ती	14-15	200000 (01.04.14 से 31.05.14) 1363000 (शेष दस माह	6000 40890	मनीष कुमार
	15-16	452748 (01.04.15 से 30.06.15) 1778000 (शेष 9 माह	13582 53340	संतोष कुमार रवि शंकर सिंह
	16-17	3074000	92220	मनीष कुमार
वाहन पड़ाव प्रवेश विन्दु पर शुल्क	14-15	16000 (01.04.14 से 31.05.14) 91000 (शेष दस माह	480 2730	कलिका प्रसाद सिंह संजीव कुमार रॉय
	15-16	50250 (01.04.15 से 30.06.15) 905000 (शेष 9 माह	1508 27150	संजीव कुमार रॉय विष्णु दयाल
	16-17	830000	24900	कलिका प्रसाद सिंह
	योग		**332138**	

अंकेक्षण टिप्पणी–

(1) एकरारनामा बंदोबस्तधारियो से तीन प्रतिशत स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नहीं किया गया.

(2) सैरात पंजी नहीं होने के कारण नगर परिषद् के अंतर्गत वास्तविक सैरातो की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकी.

2. लेखा परीक्षा आपत्ति पर जमा राशि रु 4000/-

नमूना जांच में पाया गया की निम्न सैरात की बंदोबस्ती राशि से कम राशि बंदोबस्तधारी द्वारा जमा की गई जिसके कारण नगर पंचायत का राशि रु 4000/- की हानि हुई। विवरण निम्न हैं –

क्रमांक	सैरात का नाम	वर्ष	बंदोबस्ती राशि	जमा की गई राशि	कम जमा	बंदोबस्तधारी का नाम
1	बस एवं जीप पड़ाव बंदोबस्ती	16-17	3074000	3070000 MR No 777, 779 and 911	4000	मनीष कुमार

3. अग्रधन की राशि की वापसी के कारण नगर पंचायत को हानि रु 135350/-

नगर पंचायत मनेर द्वारा वर्ष 15-16 में बस एवं जीप पड़ाव बंदोबस्ती हेतु आम सूचना दिनांक 13.03.15 को निकाली गई। आम सूचना में सुरक्षित राशि रू. 1804366/- तथा अग्रधन की राशि रू. 180500/- थी। दिनांक 16.03.15 को डाक वक्ता मनीष कुमार पिता कामेश्वर कुमार द्वारा उच्चतम बोली रु 2442000/- लगाई गई। प्रथम डाक वक्ता द्वारा राशि जमा नहीं करने पर दूसरा सर्वाधिक बोली लगाने वाले डाक वक्ता संतोष कुमार (2441000) को परवाना निर्गत करने का आदेश दिया गया। लकिन संतोष कुमार द्वारा भी राशि के जमा नही किये जाने के फलस्वरूप कार्यालय के पत्रांक 109 दिनांक 19.03.15 द्वारा अग्रधन की राशि जब्त कर ली गई। पुन. दिनांक 23.0315 को हुए डाक में संतोष कुमार को मौका दिया गया तथा उनके द्वारा उच्चतम बोली रु 1811000/- लगाई गई। दिनांक 27.06.15 को तत्कालीन नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 217 दिनांक 27.06.15 के आदेश द्वारा बंदोबस्ती को रद्द कर पुनः बंदोबस्ती की सूचना निकाली गई। जिसका सुरक्षित राशि रू. 1353275/- तथा अग्रधन की राशि रू. 135350/- निश्चित किया गया। जिसमे पिंकू कुमार पिता महावीर प्रसाद द्वारा दिनांक 13.07.15 को 2651000/- की उच्चतम बोली लगाई गई। पिंकू कुमार द्वारा डाक की राशि जमा नहीं करने के कारण नगर पंचायत कार्यालय के पत्रांक 242 दिनांक 14.07.15 द्वारा जमानत की राशि जब्त कर ली गई। पुन. डाकवक्ता के आवदेन पर जिसमे

जिक्र किया था कि पारिवारिक कलह की वजह से मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण गलती से उनके द्वारा अधिक बोली लगा दी गई। को स्वीकार करते हुए नगर पंचायत द्वारा उनकी जब्त की गई राशि को वापस कर दिया गया। जिससे नगर पंचायत को राजस्व रु 135350/- की क्षति हुई।

4. वर्ष 15-16 में तीसरी बार हुई बस एवं जीप पड़ाव बंदोबस्ती के डाक में दूसरी सर्वोच्च बोली लगाने वाले डाकवक्ता को परवाना नहीं दिए जाने के कारण हानि रु 3.72 लाख

वर्ष 15-16 में बस एवं जीप पड़ाव बंदोबस्ती की विभिन्न तिथि में तीन बार डाक की गई दूसरी बार दिनांक 13.07.15 को हुई डाक में पिंकू कुमार (उच्चतम बोली) द्वारा राशि नहीं जमा किये जाने के उपरांत दुसरे उच्चतम बोली लगाने वाले डाकवक्ता रवि शंकर सिंह (राशि रू. 2150000) को डाक का परवाना बिना कोई कारण बताये नहीं दिया गया बल्कि दिनांक 14.07.15 को दुबारा बोली लगाई गई जिसमे रवि शंकर सिंह को ही मात्र राशि रु 1778000/- में बंदोबस्ती का अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार नगर पंचायत मनेर को बस एवं जीप पड़ाव की बंदोबस्ती में राशि रु 372000/- की हानि हुई।

नियमानुसार प्रथम डाकवक्ता द्वारा डाक लेने से इंकार करने के बाद दूसरा सर्वोच्च बोली लगाने वाले डाकवक्ता को बंदोबस्ती का अधिकार दिया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

आपत्ति के जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि

1– वित्तीय वर्ष 2018–19 से स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर एकरारनामा किया जायेगा।

2– बन्दोबस्ती से 4000 रूपया वसूली कर लिया गया है। रू. 4000 को Bank of India में दिनांक 16.09.2017 जमा कर दी गई है जिसका प्रमाण दिया गया है।

3– बोर्ड के निर्णय के आलोक में डाकवक्ता पिंकू कुमार को अग्रधन की राशि वापस कर दिया गया है।

4– दूसरे सर्वोच्च बोली लगाने वाले डाकवक्ता द्वारा डाक लेने से इंकार कर दिया गया, फलस्वरूप अगले दिन दिनांक 14.07.15 को दुबारा बोली लगाई गई।

कंडिका–6 <u>Mobile Bio Toilet का कय में रू 1,70,000/– की हानि</u>

नगर पंचायत के निविदा आमंत्रण सूचना सं0 03/16–17 पत्रांक 444 दिनांक 26.10.2016 द्वारा बायो टायलट कय हेतु निविदा आमंत्रित की गई। निविदा में कुल 11 फर्मो से दर प्राप्त हुआ। प्राप्त निविदाओं में M/s clean India Enterprises के दर को निविदा समिति द्वारा स्वीकृत कर पत्रांक 528 दिनांक 23.11.2016 द्वारा आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया। फर्म को आपूर्ति के विरूद्व निम्नलिखित रूप से भुगतान किया गया।

क0सं0	चेक संख्या	तिथि	राशि	विवरण
1.	A 724410	04-02-2017	6,01,588	M/s clean India Enterprises (पंचम राज्यवित मद से)
2.	A 724410	04-02-2017	1,11,750	VAT जमा (5 प्रतिशत राशि रू 3166?/–कटौती कर भुगतान)
			7,13,338	

लेखा परीक्षा अभ्युक्ति

2. प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम निविदा मे0 मॉ जगदम्बा कन्स्ट्रक्शन का जो रू0 5,75,000/– था। ज्ञातव्य हो कि निविदा सिक्स सीटर पफ मोबाईल बायो टायलेट हेतु आमंत्रित की गई थी एवं निविदादाता तकनीकी रूप में सफल घोषित थे। नगर पंचायत मनेर द्वारा न्यूनतम निविदि को स्वीकृत नहीं कर अधिक मूल्य रू0 745000 पर उक्त सामग्री का क्रय किया गया। न्यूनतम निविदा को अस्वीकृत किये जाने का कारण नहीं बताया गया। निविदा समिति में तकनीकी अर्हता प्राप्त प्राधिकारी नहीं थे। इस प्रकार मोबाईल टायलेट अधिक मूल्य पर क्रय किये के कारण नगर पंचायत को रू 1,70,000/– की हानि हुई। मोबाईल टायलेट की भंडार पंजी एवं उपयोगिता संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आपत्ति के जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि संचिका का अध्ययन कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

कंडिका–7 Pole Mounted Steel Bins क्रय में अधिक भुगतान

नगर पंचायत मनेर के कोटेशन संख्या 03/16–17, कार्यालय पत्रांक 444 दि0 26.10.2016 द्वारा पोल माउण्टेड डस्टबीन क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की गई। निविदा के आलोक में कुल 5 फर्मों द्वारा निविदत दरों के आधार पर तुलनात्मक विवरणी तैयार किया गया एवं M/S Kadru Infrastructure Pvt. Ltd दर प्रति अदद रू 10350/– को कार्यादेश सं0 525 दिनांक 23.11.2016 निर्गत किया गया।
उक्त फर्म को भुगतान का विवरण इस प्रकार है:– पंचम वित्त मद से

1. चेक सं0 A724405 दिनांक 28.12.2016 (100 Pc)	931500/–	M/S Kadru Inf.
2. चेक सं0 A724406 दिनांक 28.12.2016	51750/–	VAT जमा
3. सुरक्षित जमा कटौती	51750/–	
	1035000/–	

लेखा परीक्षा टिप्पणी

1. संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त सामग्री आपूर्ति हेतु प्राप्त निविदाओं को तुलनात्मक विवरणी में शामिल नहीं किया गया था। शामिल नहीं किये गये निविदा का विवरण इस प्रकार है:–
   a) M/S Dhanwantri Energy Pvt. Ltd @ 8755/- Each
   b) M/S Quality Enviro Engineers @ 8890/- Each

उक्त निविदाओं को संज्ञान में नहीं लिया गया था।

उपलब्ध निविदाओं के न्यूनतम निविदित राशि प्रति अदद रू 8755 के विरूद्ध रू 10350 को स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप नगर पंचायत को 100 अदद पोल माउन्टेड डस्टबीन क्रय में कुल 159500/– का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। इसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

1. क्रय किये गये डस्टबीन का भंडार पंजी में इन्दराज एवं अधिष्ठापन संबंधी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ।

आपत्ति के जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि संचिका का अवलोकन कर अनुपालन भेजी जायेगी।

कंडिका–8 कचरा संग्रहण हेतु waste basket 20 ltr क्षमता का क्रय

नगर पंचायत मनेर द्वारा waste basket 20 ltr क्षमता का क्रय किया गया।क्रय किये बास्केट की संख्या एवं किये गये भुगतान की स्थिति निम्नलेखित थी–

क्रय संख्या	दिनांक	चेक संख्या	राशि	विवरण
1	31.01.2017	A 724407 dated 18.01.2017	2208750	Purchase of 3000 pcs. Door to Door dustbin from M/s Reliable interprises (14th FC)
2	31.12.2016	A 724403 dated 13.12.16	2208750	Purchase of 3000 pcs. Door to Door dustbin from M/s Reliable interprises (5th SFC)
3	05.05.2017	A 724427 dated 05.05.17	2274300	Purchase of 3000 pcs. Door to Door dustbin from Urban Environmental Solution Pvt. Ltd.

नगर पंचायत द्वारा अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना 03/2016–17 अन्य सामग्रियों के अतिरिक्त waste basket 20 ltr निकाली गई। क्रय हेतु संख्या As per necessity दर्शायी गई। निविदा आमंत्रण सूचना समाचार पत्र में प्रकाश हेतु निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग पटना को पत्रांक 444 दिनांक 26.10.16 द्वारा प्रेषित की गई।

आमंत्रित पत्र के आलोक में प्राप्त निविदा का विवरण इस प्रकार था–

क्रम संख्या	फर्म का नाम	तकनीकी	राशि
1	M/s Reliable sensible environmental solutions	Pass	775
2	Kadru Infrastructure Pvt Ltd	Pass	675
3	Quality Enviro engineers	Pass	510
4	Clean India Enterprises	Pass	615
5	Maa jagadamba construction	Pass	630

निविदा सशक्त स्थायी समिति के सदस्य के समक्ष खोली गयी थी।

लेखा परीक्षा टिप्पणी–

1– समर्पित निविदा में निम्नतम निवदित राशि प्रति बास्केट रू. 510 था जिसे तकनीकी रूप से स्वीकृत किया गया था परंतु उक्त फर्म से सामग्री का क्रय नहीं कर प्रति बास्केट रू 775 की दर से क्रय किया गया था फलस्वरूप प्रति बास्केट रू. 265 अधिक की दर से (6000 पीस) कुल रू 1590000 का अतिरिक्त व्यय किया गया। संचिका के अनुसार एम एस रिलायबल सेंसीबल इंटरप्राइजेज जो सिंटेक्स कम्पनी का है से क्रय करने का निर्णय उपस्थित सदस्यों द्वारा लिया गया था। जबकि निविदा आमंत्रण सूचना में कम्पनी का नाम नहीं बताया गया था। निविदा समिति में किसी तकनीकी अर्हता प्राप्त प्राधिकारी को शामिल नहीं किया गया था।

2– नगर पंचायत के पत्रांक 527 दिनांक 23.11.16 द्वारा एम एस रिलायबल सेंसीबल इंटरप्राइजेज को तीन हजार अदद प्रति बास्केट रू. 775 की दर से आपूर्ति आदेश दिया गया था। पुनः पत्रांक 595 दिनांक 30.12.16 द्वारा तीन हजार अदद बास्केट (बीस लीटर) आपूर्ति करने का आदेश उक्त फर्म को दिया गया। निविदा आमंत्रण से पूर्व क्रय किये जाने हेतु आवश्यक मात्रा का आकलन नहीं किया गया। फलस्वरूप नगर पंचायत प्रतियोगी दर से वंचित रहा। क्रय किये जाने हेतु आवश्यक मात्रा निविदा आमंत्रण से पूर्व आकलन नहीं किये जाने के कारण स लेखा परीक्षा दल को अवगत नहीं कराया गया।

3– क्रय किये गये बास्केट का भंडार पंजी में इन्द्राज एवं इसके उपयोग संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आपत्ति के जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि

1 सशक्त स्थायी समिति के द्वारा गुणवत्ता नहीं पाये जाने के कारण मेसर्स रिलायबल इंटरप्राइजेज से बास्केट की खरीद की गयी।

2 आपूर्तिकर्त्ता BUDCO के Empanneled कंपनी की सूची में है। इससे क्रय किया जाना श्रेयस्कर है।

3 इन्द्राज कर लिया जायेगा।

कंडिका–9 लेखा परीक्षा आपत्ति पर जमा राशि रू. 2367

नगर पंचायत मनेर के अंकेक्षण अवधि 2014-2015 से 2016-2017 में विभिन्न कर संग्राहको द्वारा प्रस्तुत होल्डिंग रसीद बुक एवं रोकड़पाल के रोकड़बही से मिलान के क्रम में पाया गया की कुल राशि रू. **2367** कम जमा थी। विवरण निम्न है -

क्र०स०	होल्डिंग रसीद	संग्रहित राशि	जमा राशी	कम/नही जमा	वसूलीकर्ता का नाम	अभ्युक्ति
1	247-592	148783	146944	1839	श्री धनंजय चोधरी	कार्यरत
2	627-800	38944	38416	528	श्री धनंजय चोधरी	कार्यरत
योग		187727	185360	2367		

लेखा परीक्षा अभ्युक्ति:

1. दैनिक वसूली पंजी का संधारण नहीं किये जाने के कारण यह ज्ञात नहीं किया जा सका की वर्ष वार कितनी राशि की वसूली हुई तथा कुल कितनी राशि बकाया है।
2. कर की राशि वसूल कर नगर निधि कोष में जमा करने में 2 से 216 दिनों तक विलंब किया गया।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– V में संलग्न)

स्टॉक पंजी का संधारण नहीं किया गया है प्रत्येक वितीय वर्ष में रसीद संख्या 1 से शुरू होता है जिससे यह ज्ञात नही किया जा सकता है की कुल कितना रसीद से कर की वसूली की गयी तथा मार्च 17 तक कितने रसीद निर्गत किया गया है

3. विलंब शुल्क नहीं लिये जाने के कारण राजस्व हानि रू. 0.48 लाख

गृह कर रसीद के नमूना जाँच में पाया गया की गृह कर की वसूली 6 माह से 3 वर्ष तक विलंब से की जा रही थी। नियमानुसार प्रथम छः माह विलम्ब से भुगतान करने पर कोई शुल्क या अतिरिक्त राशि देय नहीं है। 6 माह के उपरांत प्रत्येक माह 1.5% जुर्माना सहित गृह कर की वसूली करना है I गृह कर रसीद के अवलोकन में पाया गया की गृह कर की वसूली में जुर्माना नहीं ली जा रही थी जिससे नगर पंचायत को राजस्व रु 47597/- की हानि हुई

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– VI में संलग्न)

आपत्ति के जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि

1– राशि जमा कर दी गई है जिसका प्रमाण दिया गया है।
2– दैनिक वसूली पंजी का संधारण किया जा रहा है।
3– कर की राशि ससमय नगर निधि कोष में जमा करने का आदेश निर्गत किया जायेगा।
4– भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा।

कंडिका–10 संचार मीनारों (मोबाइल/इन्टरनेट इत्यादि) पर रू. 5.26 लाख का बकाया

बिहार संचार मीनारों तथा सम्बन्धित संरचना नियमावली, 2012 के नियम 6 में प्रावधान किया गया है कि नगर पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावरों से पंजीकरण शुल्क के रूप में 30000 प्रति टावर तथा वार्षिक नवीकरण शुल्क 8000 प्रति टावर प्रतिवर्ष वसूल किया जाना है। इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया है कि एक ही टावर पर अतिरिक्त antena लगाया गया हो तो प्रति antena पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क के रूप में प्रत्येक antena के लिए 60 प्रतिशत राशि वसूल किया जायेगा. साथ ही यदि वार्षिक नवीकरण शुल्क प्रत्येक वितीय वर्ष के अप्रैल माह तक प्राप्त नहीं होता है तो प्रतिमाह 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज भी वसूलनीय होगा तथा प्रत्येक पांच वर्ष के उपरांत वार्षिक नदीकरण शुल्क में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जानी हैं।

मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं होने से नगर पंचायत अंतर्गत अधिस्थापित संचार मीनारों की संख्या एवं उनका पंजीकरण लेखा परीक्षा में ज्ञात नहीं किया जा सका । अंकेक्षण में प्रस्तुत मोबाइल टावर की विवरणी के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत कुल 09 मोबाइल टावर स्थापित थे तथा इन टॉवरो पर कुल 526000/- रु बकाया हैं ।

अंकेक्षण टिप्पणी–

(1) वर्ष 2014-15 से मोबाइल टावर कंपनी द्वारा राजस्व जमा नहीं किया गया । नगर पंचायत द्वारा राजस्व की वसूली हेतु की गयी कार्रवाई से अवगत कराने को कहा गया।

(2) मोबाइल टावर पर एक भी अतिरक्त antena नहीं दर्शाया गया है। क्या नगर पंचायत द्वारा इसका कोई सर्वे किया गया है, यदि हाँ तो इससे सम्बंधित दस्तावेज़ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करने को कहा गया।

(3) बिहार नगरपालिका सम्पति कर नियमावली, 2013 के अलोक में मोबाइल टावर जिन भू-खंडो अथवा भवनों पर अधिस्थापित किये गए उनसे उनके वाणिज्यक उपयोग के लिए कर की वसूली नगर पंचायत द्वारा की गई । इससे लेखा परीक्षा को अवगत कराने को कहा गया।

(4) विवरणी के अवलोकन में पाया गया की प्रत्येक पांच वर्ष पर नवीकरण शुल्क में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी नहीं की गई ।

(5) BSNL मोबाइल टावर कंपनी द्वारा अपनी स्थापना से लेकर अब तक कोई भी राशि जमा नहीं किया गया है ।

(6) वार्षिक नवीकरण शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह तक प्राप्त नहीं होता है तो प्रति माह 1.5 प्रतिशत की दर से व्याज भी वसूलनीय होगा । विवरणी में इसकी गणना नहीं की गई हैं ।

(7) नगर पंचायत द्वारा बकाये राशि की वसूली की लिए कोई नोटिस निर्गत किया गया हैं, यदि हाँ तो इसका साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कराने को कहा गया।

(8) नगर पंचायत मनेर द्वारा मोबाइल कंपनियो को टावर अधिष्ठापन से सम्बंधित अनापति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया ।

आपत्ति के जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि

1– मोबाइल टावर पर बकाया राशि वसूली हेतु नोटिस निर्गत कर दी गई है।

2– सर्वे का कार्य कराना अभी शेष है. शीघ्र ही सर्वे का कार्य करा लिया जायेगा।

3– नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली 2013 के आलोक में भूखंड एवं भवन मालिकों से कर की वसूली का प्रयास किया जायेगा।

4–नवीकरण शुल्क में 25 प्रतिशत की बढोत्तरी कर गणना कर ली जायेगी।

5–नोटिस निर्गत किया गया है।

6–ब्याज की गणना कर ली जायेगी।

7–हां नगर पंचायत द्वारा बकाये राशि की वसूली की लिए नोटिस निर्गत किया गया हैं

8–नगर पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण निर्गत नहीं किया गया है।

कंडिका–11 LED Light का क्रय

रोकड़ बही के अनुसार नगर पंचायत मनेर द्वारा लेखा परीक्षा अवधि में निम्नलिखित रूप से LED Light, CFL एवं Vapour आदि पर व्यय किया गया।

क0सं0	चेक संख्या	तिथि	राशि	विवरण
1.	A 861924	28.10.2014	9,10,172	Khushi Enterprises Vapour Light 200 Pcs & 500 CFL Bulb, 13th Finance
2.	A 723956	21.07.2016	9,04,164	Sai Scintific 90 pcs, LED Light पंचम वित
3.	A 861993	18.01.2016	11,33,837	-Do- 100 Pc LED चर्तुथ राज्य वित से
4.	A 723931	12.05.2016	14,35,687	Sai Scintific LED Light, मुद्रांक शुल्क से
5.	A 723936	24.05.2016	15,85,687	-Do-
6.	A 724401	08.12.2016	10,04,625	-Do- 100 Pcs LED Light पेशाकर से
7.	007851	30.08.2015	7,4,300	श्री अमित इलेक्ट्रिकल्स 100 Pcs CFL बल्ब
			70,48,472	

उपर्युक्त कय के कम सं0 2 से संबंधित संचिका जिसे लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया कि जॉच से ज्ञात हुआ कि:–

1. नगर पंचायत मनेर के पत्रांक 354 दिनांक 14.11.2015 द्वारा अन्य सामग्रियों के अतिरिक्त LED Vapour Light 45 Watt, 100 अदद आपूत्ति हेतु निविदा आमंत्रित की गई। निविदा आमंत्रण सूचना में कोई विशिष्टियॉ वर्णित नहीं थी। निविदादाता फर्मो द्वारा भिन्न–भिन्न कम्पनियों के LED Light हेतु निविदा समर्पित की गई जिसमें न्यूनतम दर 10075 वाले फर्म Sai Scintific, Ara की निविदा स्वीकृत/सफल घोषित की गई।
2. उक्त फर्म को आपूर्त्ति आदेश, पत्रांक 367, दिनांक 05.12.2015 द्वारा 100 अद्द निर्गत की गई। पुनः उक्त फर्म को आदेश सं0 126 दिनांक 02.04.2016 द्वारा 300 अद्द आदेश सं0 224 दिनांक 11.06.2016 द्वारा 90 अद्द एवं आदेश सं0 379 दिनांक 13.09.2016 द्वारा 300 अद्द आपूर्त्ति करने का आदेश दिया गया।

लेखा परीक्षा अभ्युक्ति

2. निविदा आमंत्रण सूचना मे कय किये जाने वाले LED Light का विशिष्टिकरण अंकित नहीं किया गया था एव कय समिति में किसी तकनीकी योग्यता धारक पदाधिकारी को शामिल नहीं किया गया था।
3. मे0 साई साइंटिफिक द्वारा समर्पित, जिसका चयन किया गया था, इन्सटालमेन्ट एवं वैट सहित प्रति अदद 11935/– रू0 मुल्य था जबकि मे0 लक्ष्मी कन्टस्ट्रक्शन के निविदा के अनुसार सभी कर एवं इन्सटालेशन सहित प्रति अदद दर 11920/–, रू0 था। इस प्रकार प्रति अदद रू0 15/– अधिक पर कय था। फर्म द्वारा आपूर्ति आदेश के विरूद्व समर्पित विपत्र उपलब्ध नहीं है।
4. कय की आवश्यकता मात्रा का निविदा आमंत्रण से पूर्व पूर्ण रूप से आकलन नहीं किया गया था। निविदा मात्र 90 अदद कय हेतु किया गया था यद्यपि कुल कय 490 अदद किया गया। फलस्वरूप, नगर पंचायत प्रतियोगी दर से वंचित रहा।
5. कय किये गये एल.ई.डी. लाईट के अधिष्ठापन एवं संबंधित भंडार पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया ।
6. आपूर्ति आदेश के अनुसार 5 प्रतिशत राशि वारंटी अवधि तक जमानत के तौर पर कटौती की जानी थी जिसकी कटौती नहीं की गयी।

आपत्ति के जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि –

1– परफार्मेंस सिक्यूरिटी की राशि की कटौती की जायेगी।

2– भंडार पंजी में कय की गई सामग्रियों की प्रविष्टि की जायेगी।

3– वास्तविक मांग का आकलन कर आपूर्ति आदेश निर्गत किया जायेगा।

4– निविदा प्रकाशन के समय सामग्री क्रय के विशिष्टीकरण को विस्तार पूर्वक वर्णित किया जायेगा।

कंडिका–12 चापाकल अधिष्ठापन (13 वा वित्) अधिक भुगतान रू 0.16 लाख

योजना संख्या :- 12/14-15

योजना का नाम :- वार्ड संख्या 14 में 7 चापाकल निर्माण

प्राक्कलित राशि :- 328400/-

मापी राशि :- 328400/-

प्रशासनिक स्वीकृति :- 328400/-

संवेदक का नाम :- लोकेश कुमार

कार्य की स्थिति :- पूर्ण

भुगतान की विवरणी :- संवेदक को देय 321844

इनकम टैक्स	3284
लेबर सेस	3284
कुल	328412

अंकेक्षण टिप्पणी :-

(1) वैट राशि की कटोती नहीं रु 16420/-

बिहार वैट अधिनियम 2005 की धारा 40(1) एवं पत्र संख्या 2368 दिनांक 22.06.12 विक्री कर विभाग बिहार सरकार के अनुसार सभी सरकारी कार्य पर अंतिम भुगतान के समय कुल राशि से 5 प्रतिशत वैट की राशि की कटोती करके ही अंतिम भुगतान करना है एवं काटी गई राशि कार्यालय द्वारा सम्बंधित शीर्ष में जमा की जानी चाहिए, परन्तु संचिकाओ के अवलोकन से यह पता चल कि इस तरह की कोई राशि अंतिम भुगतान के समय नहीं काटी गई एवं पूर्ण राशि का भुगतान संवेदक को किया गया, फलत: संवेदक को राशि 16420/- का अधिक भुगतान हुआ वही कार्यालय को राशि रु 16420/- की हानि हुई विवरण इस प्रकार है-

कार्य में किया गया कुल भुगतान का 5% =328400 का 5/100 = 16420/-

(2) संवेदक से एकरारनामा नहीं किया जाना

संचिका के अवलोकन में यह भी पाया गया की संवेदक से एकरारनामा किये बिना कार्यादेश निर्गत कर दिया गया। एकरारनामा नहीं किये जाने से कार्य की गुणवता में कमी से इंकार नहीं किया जा सकता।

(3) कार्यादेश में कार्य आरम्भ के पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद स्वीकृत योजना का रंगीन फोटो प्रस्तुत करने का स्पष्ट निर्देश था। लकिन संचिका में ऐसा कोई फोटो नहीं पाया गया।

(4) चापाकल अधिष्ठापन एवं उसके सुचारू रूप से कार्य करने से सम्बंधित प्रमाण पत्र संचिका में नहीं पाया गया। बिना प्रमाण पत्र प्राप्त किये बगैर संवेदक को भुगतान करने का कारण बताया जाय।

आपत्ति के जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा।

कंडिका–13 **अधिक भुगतान (14वा वित् आयोग)**

योजना संख्या :- 29/16-17

योजना का नाम :- नगर पंचायत मनेर में भगवान् दास स्कूल से विद्याधर बिनोद जी के घर तक सड़क मरम्मती कार्य

प्राक्कलित राशि :- 774800/-

मापी राशि :- 774781/-

प्रशासनिक स्वीकृति :- 774800/-

संवेदक का नाम :- अशोक चौधरी

कार्य की स्थिति :- पूर्ण

भुगतान की विवरणी :- संवेदक को देय 739765/-

इनकम टैक्स	7550/-
लेबर सेस	7747/-
रॉयल्टी	8043/-
बिक्री कर	11676/-
कुल	774781/-

अंकेक्षण टिप्पणी :-

(1) रॉयल्टी की कम कटौती किये जाने के कारण राजस्व की क्षति रु 7154/-

मापी पुस्तिका में प्रयुक्त किये गए सामग्रियो की विवरणी दर्ज की गई थी जिसमे रॉयल्टी के दर की गणना की गई जो इस प्रकार हैं :

क्रमांक	ईट स. (हजार में)	सोन बालू M^3 में	स्टोन चिप्स M^3 में	स्थानीय बालू M^3 में	मापी पेज स.
1	4907	59.67	119.34	2.74	3 एवं 2
दर	29	50	100	50	
कुल राशि	142	2984	11934	137	

काटी जानी वाली राशि का कुल योग = रू. 15197

मापी पुस्तिका की जांच में पाया गया की संवेदक के विपत्र से मात्र रू. 8043/- की कटौती की गई। दोनों आकड़ो के मिलान से स्पष्ट होता है कि रॉयल्टी के रूप में राशि रु 7154/- की कम कटौती की गई जिसके कारण राजस्व की क्षति हुई ।